क्रमांक 1/57/78-डी. सी. यू.

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 31-7-1981

विषय :- जिला स्तर के कार्यालयों में विलम्ब को रोकने के लिए डिले चैकिंग यूनिट की स्थापना ।

महोदय

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला स्तर के कार्यालयों में विलम्ब को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक ए.यू.-1-72/18920, दिनांक 23-6-72 द्वारा एक एसैसमैंट यूनिट (डिले चैकिंग यूनिट) की स्थापना की गई थी। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि यह यूनिट सभी केसों की जांच इस उद्देश्य से करेगा कि किस स्टेज पर कितनी देरी हुई है। उन केसों में जहां अनावश्यक देरी होती है, यह यूनिट पनिशिंग अथोरिटी (Punishing Authority) को सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए लिखेगा। पनिशिंग अथोरिटी इन रिपोर्टों पर जितनी जल्दी हो सके कार्यवाही करेगी और जिन केसों में पनिशिंग अथोरिटी के स्तर पर उचित कार्यवाही करने में अनावश्यक देरी होगी वह केस मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाए जाएंगे ।

2. यह देखने में आया है कि कई विभागाध्यक्षों/पनिशिंग आथोरिटी द्वारा डिले चैकिंग यूनिट की निरीक्षण रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करने में अनावश्यक देरी की जाती है। यह स्थिति बहुत खेदजनक है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि डिले चैकिंग यूनिट की निरीक्षण रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जाए, यदि कोई विभाग इन अनुदेशों की पालना में ढील करता हुआ पाया गया तो मामला मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में लाया जायेगा ।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए ।

हस्ता/-

उप सचिव, प्रशासकीय सुधार,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।